# स्त्री विमर्श : आधी आबादी का सच

प्रियंका मिश्र
*शिवाजी कॉलेज*
*दिल्ली विश्वविद्यालय*

आधी दुनिया पर विचार एवं सर्वमान्य विमर्ष बहुलता एवं विविधता पूर्ण सामाजिक संरचना में तर्क संगत ही हो, असम्भव सा लगता है। लेकिन इस विषय के ताने बाने को दुरुह नहीं कहा जा सकता। सृष्टि के प्रादुर्भाव के वक्त से ही ऐसा लगने लगा कि पृथ्वी और स्त्री एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पौराणिक कथावस्तु से ज्ञात हुआ कि प्रलय के बाद सिर्फ और सिर्फ मनु महाराज बचे थे पर मातृशक्ति का अभाव था। देवताओं के देव यज्ञ से श्रद्धा नाम की मातृशक्ति उपस्थित हुईं और उसने निराश, हताश, किंकर्तव्यविमुढ़ता की स्थिति को प्राप्त हो चुके मनु को सृष्टि के संचार की प्रेरणा दी। 'कामायनी' में जयशंकर प्रसाद ने लिखा है –

**कहा आगंतुक ने सस्नेह,**
**अरे तुम इतने हुए अधीर**
**हार बैठे जीवन का दाव,**
**जीतते जिसको मरकर वीर**
**तप नहीं केवल जीवन सत्य,**
**करुणीय क्षणिक दीन अवसाद**
**तरल आकांक्षा से है भरा,**
**हो रहा आशा का आह्लाद।**[1]

यह अवसाद प्रलय के प्रभाव से मनु के मानस पटल पर आसीन था। वह सृष्टि के विनाश को देखकर आकुल था। उसके नेत्र भीगे हुए थे –

**हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर,**
**बैठ शिला की शीतल छाँव,**
**एक पुरुष भीगे नयनों से**
**देख रहा था प्रलय प्रवाह।**[2]

मेरा अपना विवेक उस समय का इतिहास, यानी नारी के इतिहास का लेखन, सर्वथा अविवेकी कृत्य लगता है। तत्कालीन इतिहास का दुष्प्रभाव यह हुआ कि उत्तरोत्तर पुरुष समाज में स्त्री की स्थिति माँ, पत्नी, बहन आदि के भिन्न रूपों में न होकर एक वस्तु, एक कामिनी, एक खिलौने की तरह प्रतिष्ठित हुई। सुन्दर नारी के भिन्न–भिन्न प्रतिमान, भिन्न–भिन्न लक्षण पुरुष समाज ने रुपायित करने आरम्भ किए। प्रताड़ना का दौर चला, नारी को वस्तु समझना और समझाना शुरू हुआ। उसके कान–नाक छेद दिए गए, लम्बे बाल करना रखना, एक आवश्यक शर्त के रूप में उस पर थोप दिया गया ताकि आवश्यकतानुसार उसके बाल पकड़ कर उसे नियंत्रित किया जा सके। सृष्टि को सुचारू गति देने के नाम पर उसे प्रसूति गृह से लेकर रसोईघर तक कैद कर दिया गया। आभूषणों के माध्यम से, कान नाक पैर कमर यहाँ तक की अंगुलियों तक को गुलाम किया, फिर भी मन नहीं भरा तो गले पर भी आभूषणों ने आगमन किया लेकिन अपनी बर्बरता एवं इस घिनौनी हरकत को मान्य बनाने के लिए नाम दिया स्त्रीधन, गहना – जिस अदृश्य एवं अर्थपूर्ण चाल को नारी समझ नहीं सकी। बस तोते की भांति पति को जाने अनजाने में परमेश्वर का दर्जा दे डाला और यहीं से प्रारम्भ होती है नारी यंत्रणा की कहानी। जो युगों से अपने शरीर के हर अंग पर पति परमेश्वर को बोझिल गढरी को ढोती आ रही है। मांग में सिन्दूर के रूप में,

भाल पर बिन्दी के रूप में, कानों में बाली के रूप में, होठों पर लाली के रूप में, गले में मंगलसूत्र के रूप में, कमर में करघनी, कलाई में चूड़ी और कंगना के रूप में, पैरों में पायल और बिछुआ के रूप में, अंगुलियों में नगीने के रूप में ..... प्रत्येक अंग पर सौभाग्य का प्रतीक अंकित कर दिया गया –

**नाम पाहरू दिवस निशि,**

**ध्यान तुम्हार कपाट**

**लोचन निज पद यंत्रिता**

**प्राण जाहि केहि बाट।**

नारी भावना की थाह पाना कितना कठिन है, उसकी अंतर्वेदना को आत्मसात करना कितना कष्टकारक है इसे मैथिलीशरण गुप्त के शब्दों में सहज ही समझा जा सकता है –

**अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी**

**आँचल में है दूध और आँखों में पानी।**[3]

लम्बी दास्तान है स्त्री के जीवन की, उसे 'सात समंद की मसि' से भी लिख पाना सम्भव नहीं। हज़ारों सालों के अंतराल में, अथक प्रयास से स्थिति में कुछ बदलाव आने की शुरुआत तो हुई है किन्तु विशुद्ध रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि स्त्री के प्रति समाज का, सरकार का नज़रिया निस्वार्थ भाव से बदलने लगा है। बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि समाज और सरकार के सभी प्रयास तरकश के भोथरे तीरों की तरह साबित हो रहे हैं जो अपेक्षित परिणाम दे पाने में असमर्थ है। इस तरकश में नए–नए तीरों कों संजोने और सजाने की मजबूरी–सी स्पष्ट दिखाई देती है। फलतः वैश्वीकरण की आंधी का हिसाब जूठन की तरह स्त्री को भी मिलने लगा है।

आज की स्त्री यानी वर्तमान स्त्री की स्थिति में अगर तुलनात्मक अध्ययन को आधर माना जाए तो स्थिति को विकसित के बजाए विकासशील की श्रेणी में ही रखना होगा। विमर्श को विषय यदि दलित स्त्री हो तो स्थिति और अधिक बदतर होगी। हमारा यह दावा कि हमारी मातृशक्ति विकास के चरम पर है अनुपयुक्त है। यह बात जरूर है कि वर्तमान में स्त्री के प्रति परिवार, समाज और सरकार के दृष्टिकोण में बदलाव आया है। स्त्रियाँ पुरुषों के मानिन्द आज हर क्षेत्र में कदम दर कदम कंधे से कंधा मिलाकर चलने को आतुर हैं। हर क्षेत्र में, चाहे वह तकनीक का क्षेत्र हो, विज्ञान का हो, साहित्य का हो या पत्रकारिता, राजनीति, बौद्धिकता, सैन्य, पुलिस आदि का हो। हर क्षेत्र में नारी अपने आयाम में अपने पास उपलब्ध समग्रता रूपी समिधा को महत्वाकांक्षा की प्रज्वलित अग्नि में आहूत करने को तत्पर दिखाई दे रही है।

वर्तमान दौर में जब नारी ने राजनीति के क्षेत्र में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है तो इस क्षेत्र में भी अपनी मुखर प्रतिभा के द्वारा उसने राजनीति की दिशा को ही बदल दिया। राजनीति के प्रति सामाजिक सोच को भी परिवर्तित कर दिया। समूची दुनिया की आधी आबादी ने श्रद्धा और परम्परा के नाम पर सदियों से जिस अन्याय और शोषण को स्वीकार किया अब वह अपने अधिकारों के प्रति पूर्णतः सचेत होकर अपने ही सच को समाज में स्थापित कर रही है। इस आधी आबादी के सच को अस्वीकार कर पाना वर्तमान में असम्भव है। शायद यही कारण है कि समाज के प्रत्येक क्षेत्र में बैठे सामाजिकों का नज़रिया अब बदलने लगा है। उन्हें लगने लगा है कि कहीं दुनिया की इस आधी आबादी के प्रति पुरुष सत्तात्मक समाज का शोषण ज्वालामुखी बनकर न फूट पड़े। इसी आशंका के चलते जब उनके अधिकारों की बात चलने लगी तब सत्ता पर मुखर रूप से बैठे पुरुषवादी अहं ने इसे सामाजिक–संस्कारो की बंदिशों में बांधने का प्रयास किया। किन्तु राजनीति में अपना सीधा हस्तक्षेप रखने वाले इस स्त्री समाज के वर्चस्व को देखते हुए सरकारी व्यवस्थाओं को कानूनी

शक्ल देकर उन अधिकारों को स्त्रियों तक पहुँचाने का रास्ता खोल दिया गया।

गाँधी जी ने समाज के प्रत्येक वर्ग को प्राकृतिक संसाधनों के समान अधिकार के लिए संघर्ष किया। ऐसे में उनके लिए यह आवश्यक था कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक समान रूप से बुनियादी संसाध्न पहुँचने चाहियें जिससे व्यक्तियों से बनने वाला समाज अपने अल्प संसाधनों द्वारा आत्मनिर्भर होकर राष्ट्र के विकास में अपना उचित सहयोग दे सके और इसी समाज का एक अंग होने के नाते स्त्रियों को भी उसके नागरिक अधिकारों से वंचित न किया जा सके। गाँध्सी जी इन विचारों को क्रियान्वित करने का प्रयास स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार ने करने का प्रयास किया किन्तु हमारे समाज की संरचना में जो रूढ़ परम्परायें विद्यमान रही हैं उन परम्पराओं की निर्मिति हजारों वर्षों की सामाजिक जीवनधारा के परिणामस्वरूप हुआ। ऐसे में एकाएक उन जड़ हो चुकी परम्पराओं को भी समाज से हटा देने का यत्न करना सामाजिक परम्पराओं के पुराधओं के समक्ष चुनौतियाँ उपस्थित करना था। ऐसे में सरकार के समक्ष स्त्री अधिकारों का प्रश्न एक बड़े प्रश्न के रूप में स्थापित नहीं हो सका। लेकिन बदलते हुए समय और इस आधी आबादी का अपने अधिकारों के प्रति सचेत होना अब सत्ता को भी चुनौती देने लगा है। इसीलिए आरक्षण जैसी व्यवस्थाओं के आधार पर उस समाज को समान अधिकारों की श्रेणी में लाकर खड़ा करने का सरकारी प्रयास कुछ हद तक सफल हुआ। लेकिन यह भी सच है कि जिस दिन भारतीय स्त्री को उसके अधिकारों की वंचना से मुक्ति मिल जाएगी तब विश्व के मानचित्र पर भारत और भारतीय समाज सुदृढ़, सशक्त, स्वावलम्बी और एक महाशक्ति के रूप में स्थापित होगा। इसके लिए आवश्यकता है राजनैतिक प्रतिबद्धता और इच्छा शक्ति की।

वैश्वीकरण की अवधारणा ने गाँधी के विचारों पर अपना वर्चस्व स्थापित करना आरम्भ कर दिया। स्वावलम्बन और लघु उद्योगों की प्राथमिकता पर बल देने वाले विचार को वर्तमान समाज में स्वीकार्यता देना भारत के लिए भी स्वयं चुनौती बन चुका है। आर्थिक उदारीकरण के कोहराम में हमने अपने परम्परा उद्योगों को विनाश की भट्टी की ओर जिस तरह से धकेल दिया है वह भारतीय आर्थिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं। अपने संसाधनों को उन्नत बनाए रखने के लिए जिस तरह से भारत सरकार विश्व से कर्ज लेकर चल रही है निश्चित रूप से वह भारत के विकास में अपना योगदान देने के बजाए उसे पराधीनता की ओर धकेल देगी। किसानों, मज़दूरों और छोटे–छोटे कार्यों में जुटे सामाजिकों की ज़िन्दगी इन आर्थिक उदारीकरण की आँधी में सिमटती जा रही है और उनकी आजीविका छिनने के चलते वे आत्महत्या जैसे कृत्य करने को मजबूर हो गए हैं। इसी समाज की स्त्री का दायरा भी ऐसे ही शोषित वर्ग की तरह है। उसका सदियों से होने वाला सामाजिक दलन उसे दलित बनाता है।

भले ही आज हम विकास की गति प्राप्त करने के साथ–साथ विश्व के सम्मुख सशक्त बन चुके हैं। लेकिन विकास की इस बयार में नहीं बदला तो भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों का वह पितृसत्तात्मक स्वरूप जो उनके अपने अधिकारों को छिनने न देने के लिए उग्र हो उठता है। वह आज भी इस विभ्रम को पाले चलता है कि स्त्री की स्वतंत्रता समाज के सांस्कृतिक–मूल्यों को विघटित कर देगी और समाज विच्छृंखल हो जाएगा। इस विषाक्त भावना का त्याग, नैतिक उत्थान ऐसे कारक हमारे पास है कि हम अपने देखे गए सपने के प्रति ईमानदारी पूर्ण यत्न एवं निष्ठा से कार्य करें तो निश्चित रूप से सफलता के नए सोपान चढ़ सकते हैं।

विगत् कुछ वर्षों की ओर अपनी दृष्टि डालकर देखें तो यह आश्चर्यजनक स्थिति हमारे सामने खड़ी हो गयी है कि जहाँ इन वर्षों में स्त्री के प्रति सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक वर्जनाओं के द्वार टूटे वहीं सामाजिक शोषण की प्रवृत्ति स्त्री–समाज पर खूंखार होती चली गयी। बलात्कार और शारीरिक यातनाओं के कई प्रसंगों ने भारतीय समाज की चेतना को भीतर तक झकझोर कर रख दिया। समाज के एक वर्ग की निरंकुशतता और उसकी कुत्सित तथा क्रूर चालों का जवाब स्त्री के पास भी नहीं था। उसके समूचे अस्तित्व और उसकी अस्मिता को तार–तार कर देने वाले बलात्कारियों के प्रति सामाजिक आक्रोश को दिशा दी समाज के युवा वर्ग ने। युवा वर्ग की नवीन सूचना–क्रांति ने व्यवस्था के पक्षधरों को भी कार्यवाही करने के लिए मजबूर कर दिया। जिन अधिकारों का दायित्व स्त्री को स्वतः मिलना चाहिए था उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अब स्त्री समाज और उसका साथ देने के लिए आज की युवा शक्ति पूर्णतः तत्पर हो गयी है।

आने वाला समय आधी आबादी का होगा, शत प्रतिशत तो नहीं लेकिन बहुलांश तो होगा ही। क्योंकि नींद अभी खुली है, चेतना जागृत हो चुकी है, विवेक ने अपना कार्यभार सम्भाल लिया है। नारी ने तमाम कठिनाइयों को झेलते हुए भी आने वाली पीढ़ी के लिए मशाल ज्योति बनना स्वीकार लिया है। उसके मन में अपने समुदाय के लिए एक विलक्षण भावना ने उसे उत्प्रेरित किया है जो वह अपने ही समाज के लिए पूरी तरह से सक्रिय भूमिका में आ गयी है। एक शाश्वत संदेश देने में कि पुरुष का अस्तित्व भी उसके अस्तित्व में ही समाहित है, वह सामाजिक चिन्तन धारा का एक नया आयाम दे रही है। अब समाज के कानूनों की प्रासंगिकता को मुखर बनाने के लिए स्त्री ने स्वयं ही कानून की दिशा तय करनी शुरू कर दी है। वह समाज के प्रत्येक क्षेत्र में अपने वर्चस्व को स्थापित करते हुए अपने अधिकारों को प्राप्त करने के साथ–साथ व्यवस्था को भी सुधारने और सुदृढ़ करने में क्रियाशील हो गयी है। आने वाला दौर इसी आधी आबादी का, इसी स्त्री समाज को होगा। उसका स्वरूप भले ही सीता की तरह शांत हो या द्रौपदी की तरह आक्रोशित हो लेकिन वह सामाजिक पृष्ठभूमि में अपनी सत्ता को स्थापित कर पाने में पूर्ण समर्थ होगी इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं।

## संदर्भ


- जयशंकर प्रसाद, कामायानी, पृष्ठ 32
- जयशंकर प्रसाद, कामायानी, पृष्ठ 9
- मैथिलीशरण गुप्त, मैथिलीशरण गुप्त ग्रंथावली, पृष्ठ 72


Copyright © 2014. *Priyanka Mishra*. This is an open access refereed article distributed under the Creative Common Attribution License which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.